भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
BEECHWAL, BIKANER (RAJASTHAN) - 334006
बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

पत्रावली क्रमांक:07(ii)08/CS/FPA/16/ 7316 दिनांक: 16.01.2021.

18

सेवा में,

श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह,
सरकारी स्कूल के पीछे,
गाँव:बीछवाल,
(राजस्थान)
बीकानेर (राज.)।

विषय:- संस्थान के प्रक्षेत्र के बेर फलों की खुली नीलामी बाबत।

संदर्भ:- 1.बेर फलों की खुली नीलामी दिनांक: 11.01.2021.
2.संस्थान के पत्र दिनांक: 13.01.2021.
3.आपका अनुबंध पत्र दिनांक: 15.01.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा बेर फलों की खुली नीलामी में आपकी उच्चतम बोली रु.1,29,000/- (रुपये एक लाख उन्तीस हजार मात्र) एवं आपके द्वारा प्रस्तुत अनुबंध विलेख को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा आप द्वारा बोली की पूर्ण राशि जमा करवा दी गई है। (क्रमश: रु.60,000/- TR No.147 दिनांक: 11.01.2021 + रु.60,000/- का DD No.503407 दिनांक: 15.01.2021 अनुसार अतः आप संस्थान के प्रभारी फार्म से सपर्क करते हुए उपरोक्त वृक्षो के फलो की तुड़ाई का करी तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित शर्तों पर आरम्भ करे:-

1. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुड़ाई के दौरान बेर वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों एवं अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुचें। बेर बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
2. संस्थान से अधिकार पत्र मिलने के पश्चात बेर फलों के तुड़ाई का कार्यादेश जारी होने के **दो माह** में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक बेर फलों पर नही रहेगा। इस अवधि में बेर फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
3. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
4. फलों की तुड़ाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रात: 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य ही संपन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में फलों की तुड़ाई नही होगी। प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल दिये जायेगें। संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को फलों के तुड़ाई के लिये नही लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। तोडे गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।

कृ ऊ प

5. जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ संस्थान के अनुसंधान कार्यो के लिये बेर प्रखण्ड में से प्रत्येक किस्म के 500 ग्राम बेर फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।
6. फलों की तुडाई, भंडारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा।
7. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आंधी-तुफान, पशुओं एवं पक्षीयों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी।
8. तुडाई अनुबंध के कार्य संपादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदुरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
9. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुडाई का कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) एवं बैंक खाते की जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
10. अनुबंध कर्ता/सफल बोली दाता को कोई भी श्रमिक फार्म क्षेत्र के अंदर रात्रि के दौरान रुकने के लिये संस्थान के प्रभारी सुरक्षा से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है |
11. वर्णित कार्य के अनुबंध पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे संस्थान के मुख्यालय भा.कृ.अनु.परि., नई दिल्ली द्वारा नियुक्त पंच (Arbitrator) को सुपुर्द कर दिया जावेगा। पंच के निर्णय को मानने के लिए दोनो पक्ष बाध्य होंगे।
12. संस्थान को बिना कोई कारण बताए अनुबंध को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।

भवदीय,

(रमेश)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारी
ADMINISTRATIVE OFFICER
भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
बीकानेर/BIKANER

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी फार्म, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. फार्म मैनेजर, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. सहायक वित एवं लेखा अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
5. प्रभारी सुरक्षा, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
6. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
7. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर-संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु।
8. सूचना पट्ट, कार्यालय/प्रक्षेत्र भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
9. सतर्कता अधिकारी, भाकृअनुप-केबापके, वेजलपुर।

2-3-21 16/2021.

प्रशासनिक अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारी
ADMINISTRATIVE OFFICER
भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
बीकानेर/BIKANER